कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या 4098 / अधिष्ठान / दो–29 / 2022 दिनांक 20 अक्टूबर, 2022

1– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2– समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः–उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 हेतु आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कार्यालयादेश संख्या–3917 / अधिष्ठान / दो–29 / 2022 दिनांक 30–09–2022 के द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 हेतु वैबसाइट पर प्रदर्शित की गयी।

2. उक्त प्रदर्शित किये गये विवरणों के विरूद्ध कतिपय अधिकारी / कार्मिकों द्वारा आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी। उक्त आपत्तियों का निराकरण निम्नवत किया जाता हैः–

(1) श्री दिनेश चन्द्र पठोई, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून द्वारा स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत विभाग द्वारा चिन्हित सुगम / दुर्गम स्थलों के पुनः निर्धारण एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 27–09–2022 के बिन्दु–क(3) के तहत विभाग द्वारा जारी सम्भागीय परिवहन अधिकारियों की पात्रता सूची में 02 वर्ष की शिथिलता प्रदान किये जाने सम्बन्धी आपत्ति की गयी है।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण, 2017 के अनुसार सुग–दुर्गम का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा 31 मार्च तक पूर्ण किया जाता है। चैकपोस्टों की समाप्ति की दशा में सुगम एवं दुर्गम स्थलों के चिन्हीकरण में मार्च 2022 में आंशिक संशोधन किया गया था। वर्ष 2017 से वर्तमान सत्र तक सुगम–दुर्गम का निर्धारण यथावत चला आ रहा है। इस सत्र में उक्त निर्धारण के आधार पर सेवा अवधियों, अवकाश, सम्बद्धता इत्यादि के साथ पात्रता सूची का निर्धारण पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में नीतिगत बिन्दुओं पर आपत्तियॉ नहीं मांगी गयी थी। अतः आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

इसके अतिरिक्त 02 वर्ष की शिथिलता के सम्बन्ध में की आपत्ति को स्वीकार करते हुये पात्रता सूची में तदनुसार संशोधन किया जाता है। सुगम क्षेत्र से किसी अधिकारी के दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु दुर्गम में अपर्याप्त रिक्तियों के दृष्टिगत यदि दुर्गम में तैनात अधिकारियों को कुल सेवा अवधि में 02 वर्ष की शिथिलीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है तो इस पर स्थानान्तरण समिति द्वारा यथासमय सम्यक निर्णय लिया जायेगा।

(2) श्री शैलेश तिवारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), अल्मोड़ा द्वारा स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत विभाग द्वारा चिन्हित सुगम / दुर्गम स्थलों के पुनः निर्धारण एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 27–09–2022 के बिन्दु–क(3) के तहत विभाग द्वारा जारी

सम्भागीय परिवहन अधिकारियों की पात्रता सूची में 02 वर्ष की शिथिलता प्रदान किये जाने सम्बन्धी आपत्ति की गयी है।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण, 2017 के अनुसार सुग–दुर्गम का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा 31 मार्च तक पूर्ण किया जाता है। चैकपोस्टों की समाप्ति की दशा में सुगम एवं दुर्गम स्थलों के चिन्हीकरण में मार्च 2022 में आंशिक संशोधन किया गया था। वर्ष 2017 से वर्तमान सत्र तक सुगम–दुर्गम का निर्धारण यथावत चला आ रहा है। इस सत्र में उक्त निर्धारण के आधार पर सेवा अवधियों, अवकाश, सम्बद्धता इत्यादि के साथ पात्रता सूची का निर्धारण पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में नीतिगत बिन्दुओं पर आपत्तियॉ नहीं मांगी गयी थी। अतः आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

इसके अतिरिक्त 02 वर्ष की शिथिलता के सम्बन्ध में की आपत्ति को स्वीकार करते हुये पात्रता सूची में तदनुसार संशोधन किया जाता है। सुगम क्षेत्र से किसी अधिकारी के दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु दुर्गम में अपर्याप्त रिक्तियों के दृष्टिगत यदि दुर्गम में तैनात अधिकारियों को कुल सेवा अवधि में 02 वर्ष की शिथिलीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है तो इस पर स्थानान्तरण समिति द्वारा यथासमय सम्यक निर्णय लिया जायेगा।

(3) श्रीमती अनिता चन्द, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पौड़ी द्वारा अपने मातृत्व अवकाश को दुर्गम सेवावधि में सम्मिलित किये जाने एवं वर्तमान में सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), पौड़ी की उप परिवहन आयुक्त के पद पर सम्भावित पदोन्नति के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारी को दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित न किये जाने का अनुरोध किया गया है।

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–10(ख) के परन्तुक में विहित व्यवस्थानुसार मातृत्व अवकाश को दुर्गम सेवावधि में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त उप परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण न होने के दृष्टिगत उक्त आपत्तियॉ अस्वीकार की जाती है।

(4) श्री रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), विकासनगर द्वारा दिनांक 07–12–2016 से 10–04–2018 तक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के पद पर की गयी सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री रावत सिंह दिनांक 07–12–2016 से 30–12–2021 तक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के पद पर कार्यरत रहे। उनके मूल पद के आधार पर उन्हें सुगम क्षेत्र में दर्शाया गया है। अतः श्री रावत सिंह की उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(5) श्रीमती रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हल्द्वानी द्वारा सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी में परिवहन कर अधिकारी–1 के पद रहते हुए प्रवर्तन दल, नैनीताल के गठन से पूर्व की सेवा एवं उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर में श्री विपिन कुमार सिंह,

परिवहन कर अधिकारी–1 के 407 दिवस की अवकाश अवधि को अपने दुर्गम सेवा में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी में परिवहन कर अधिकारी–1 के पदीय दायित्वों में प्रवर्तन का कार्य सम्मिलित न होने के दृष्टिगत उक्त सेवा को सुगम में सम्मिलित किया गया है। श्रीमती रश्मि भट्ट उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। उनके मूल पद के आधार पर उन्हें सुगम क्षेत्र में दर्शाया गया है। अतः आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(6) श्री सन्दीप वर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रामनगर द्वारा सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी में परिवहन कर अधिकारी–1 के पद रहते हुए प्रवर्तन दल, नैनीताल के गठन से पूर्व की सेवा को दुर्गम सेवावधि में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी में परिवहन कर अधिकारी–1 के पदीय दायित्वों में प्रवर्तन का कार्य सम्मिलित न होने के दृष्टिगत उक्त सेवा को सुगम में सम्मिलित किया गया है। अतः आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(7) श्री नन्दन प्रसाद आर्य, परिवहन कर अधिकारी, मझौला चैकपोस्ट द्वारा दिनांक 04–12–2018 से 28–11–2021 तक पुलभट्टा चैकपोस्ट की सेवा को पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री नन्दन प्रसाद आर्य, परिवहन कर अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(8) श्री आनन्द प्रकाश गुप्ता, परिवहन कर अधिकारी, पुलभट्टा चेकपोस्ट द्वारा सुगम क्षेत्र में तैनाती की सम्पूर्ण अवधि समान होने के दृष्टिगत वर्तमान स्थल पर तैनाती अवधि के आधार पर पात्रता सूची में अपना नाम श्री महावीर सिंह नेगी के पश्चात सातवें स्थान पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–8 में विहित व्यवस्थानुसार पात्रता सूची का निर्धारण सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण अवधि की तैनाती के अनुसार अवरोही क्रम (Descending Order) के आधार पर श्री आनन्द प्रकाश गुप्ता की आयु श्री महावीर सिंह नेगी से न्यून होने के दृष्टिगत किया गया है। अतः आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(9) श्री जितेन्द्र बिष्ट, परिवहन कर अधिकारी–2, टिहरी द्वारा दुर्गम क्षेत्र से हटाये गये 50 दिवस के चिकित्सा अवकाश एवं प्रवर्तन दल, चकराता में किये गये 100 दिवस की सेवा को दुर्गम सेवावधि में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार पूर्व में श्री जितेन्द्र बिष्ट के दुर्गम सेवावधि के दौरान उपभोग किये गये 81 दिवस के अवकाश में से 50 दिवस की सेवा को दुर्गम तैनाती से हटाया गया है। श्री जितेन्द्र बिष्ट, परिवहन कर अधिकारी

दिनांक 04–12–2019 से 23–02–2020 तक उपभोग किया गया 81 दिवस का चिकित्सा अवकाश टिहरी कार्यालय में तैनाती से पूर्व का है। अतः उक्त के दृष्टिगत श्री बिष्ट के 50 दिवस की सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त श्री बिष्ट द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार दिनांक 28–08–2019 से 03–12–2019 तक विकासनगर कार्यालय में प्रवर्तन कार्य हेतु पूर्णकालिक तैनात किये जाने के दृष्टिगत उक्त अवधि को दुर्गम क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी उक्त आपत्ति स्वीकार की जाती है।

(10) श्री संजीव कुमार मिश्रा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, हरिद्वार एवं श्री कृष्ण किशोर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, देहरूादन द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम में विहित व्यवस्थानुसार वरिष्ठ कार्मिक की आयु सीमा को 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष किये जाने तथा स्थानान्तरण के उद्देश्य से अवधि की गणना 31 मई को परिवर्तित नही किये जाने सम्बन्धी आपत्ति की गयी है।

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 27–09–2022 में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 के अन्तर्गत मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की नीति के अनुरूप विभागीय स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की जानी है। अतः आपत्तिगत बिन्दु नीतिगत होने के कारण उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(11) श्री उमेश चन्द, प्रशासनिक अधिकारी, रूड़की द्वारा मुख्यालय में की गयी सेवा को सुगम/दुर्गम में सम्मिलित न किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–5 में विहित प्राविधानानुसार कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1176/अधि0/दो–29/2022 दिनांक 31–03–2022 के द्वारा परिवहन आयुक्त संगठन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सुगम एवं दुर्गम कार्यालयों का चिन्हांकन किया गया है। उक्त चिन्हांकन में परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून (मुख्यालय) को सुगम में चिन्हांकित किया गया है, जिसके दृष्टिगत श्री उमेश चन्द की सम्पूर्ण सेवा को सुगम में चिन्हांकित किया गया है। अतः उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(12) श्री देवेन्द सिंह, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), बागेश्वर द्वारा प्रशिक्षु अवधि को सेवावधि से हटाये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री देवेन्द्र सिंह, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार उनकी दिनांक 03–01–2013 से 20–01–2013 तक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी में दर्शायी गयी अवधि को प्रशिक्षु अवधि मानते हुये सुगम सेवावधि के हटाये जाने सम्बन्धी उक्त आपत्ति स्वीकार की जाती है।

(13) श्री विकास सिंह, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), टिहरी द्वारा रूड़की कार्यालय में सम्बद्धीकरण की 03 माह 10 दिन की सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के कार्यालयादेश दिनांक 21–09–2021 के द्वारा चारधाम यात्रा के दृष्टिगत श्री अजय कुमार आर्य, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को रूड़की से टिहरी एवं श्री विकास सिंह, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को टिहरी से रूड़की कार्यालय में अग्रिम आदेशों तक तैनात किया गया था, जिस कारण श्री विकास सिंह की सेवा को दिनांक 22–09–2021 से 31–12–2021 तक रूड़की कार्यालय में मानते हुए सुगम अवधि में दर्शाया गया है। अतः उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(14) श्री अरविन्द यादव, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), देहरादून द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2022–23 हेतु निर्गत संशोधित पात्रता सूची को निरस्त कर मूल अधिनियम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पात्रता सूची का लाभ देते हुए स्थानान्तरण से मुक्त रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 27–09–2022 में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 के अन्तर्गत मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की नीति के अनुरूप विभागीय स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की जानी है। अतः आपत्तिगत बिन्दु नीतिगत होने के कारण उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(15) श्री संजय तिवाड़ी, प्रधान सहायक, टिहरी द्वारा दिनांक 21–11–2019 से 02–12–2021 तक रूड़की कार्यालय में की गयी सेवा को सुगम हेतु आवेदित नहीं किये जाने के दृष्टिगत उक्त अवधि में दुर्गम में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री संजय तिवाड़ी दिनांक 21–11–2019 से 02–12–2021 तक उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रूड़की (सुगम) में तैनात होने के दृष्टिगत उक्त अवधि को सुगम सेवावधि में सम्मिलित किया गया है। अतः उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(16) श्री रामचन्दर, वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक, नैनीताल दल द्वारा प्रवर्तन दल, नैनीताल के गठन से पूर्व प्रवर्तन दल, हल्द्वानी में की गयी सेवा को दुर्गम से सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री रामचन्दर की प्रवर्तन दल, नैनीताल एवं प्रवर्तन दल, रामनगर के गठन से पूर्व प्रवर्तन दल, हल्द्वानी की सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी उक्त आपत्ति स्वीकार की जाती है।

(17) श्री पम्पल कुमार, प्रवर्तन पर्यवेक्षक, आशारोड़ी द्वारा दिनांक 17–02–2017 से 14–03–2017 तक उत्तरकाशी में सम्बद्धीकरण की सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

स्थानान्तरण सत्र, 2018 में कार्मिकों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में निम्न मानक अपनाया गया है:–

''जहाँ किसी कार्मिक को उसकी तैनाती के कार्यस्थल से अवमुक्त कर दूसरे कार्यस्थल पर सम्बद्ध किया गया है और उसकी सम्बद्धता की अवधि एक माह से अधिक है वहाँ सम्बन्धित कार्मिक की कार्यावधि की गणना उसके सम्बद्धीकरण के कार्यस्थल के अनुसार की गयी है।''

श्री पम्पल कुमार द्वारा दिनांक 17–02–2017 से 14–03–2017 तक कुल 26 दिवस की सेवा 01 माह से कम होने के दृष्टिगत उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(18) श्री जयदेव सिंह, प्रवर्तन सिपाही, मुख्यालय द्वारा पात्रता सूची में अपना गृह जनपद उत्तरकाशी के स्थान पर पौड़ी गढ़वाल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रवर्तन सिपाहियों की पात्रता सूची में श्री जयदेव सिंह, प्रवर्तन सिपाही का गृह जनपद लिपिकीय त्रुटिवश पौड़ी के स्थान पर उत्तरकाशी अंकित हो गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त आपत्ति स्वीकार की जाती है।

(19) श्रीमती लता भट्ट, प्रवर्तन सिपाही, हल्द्वानी द्वारा प्रवर्तन दल, नैनीताल के गठन से पूर्व प्रवर्तन दल, हल्द्वानी में की गयी सेवा को दुर्गम से सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्रीमती लता भट्ट की प्रवर्तन दल, नैनीताल एवं प्रवर्तन दल, रामनगर के गठन से पूर्व प्रवर्तन दल, हल्द्वानी की सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी उक्त आपत्ति स्वीकार की जाती है।

(20) श्री शिव प्रकाश सिंह रावत, प्रवर्तन चालक, नैनीताल दल द्वारा प्रवर्तन दल, नैनीताल के गठन से पूर्व प्रवर्तन दल, हल्द्वानी में की गयी सेवा को दुर्गम से सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री शिव प्रकाश सिंह रावत की प्रवर्तन दल, नैनीताल एवं प्रवर्तन दल, रामनगर के गठन से पूर्व प्रवर्तन दल, हल्द्वानी की सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार की जाती है।

(21) श्री तुलसी चौहान, प्रवर्तन चालक, देहरादून द्वारा प्रवर्तन दल, चकराता में की गयी सेवा को दुर्गम से सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री तुलसी चौहान द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार दिनांक 09–03–2015 से 10–06–2015 एवं दिनांक 23–09–2015 से 31–03–2016 तक प्रवर्तन दल, चकराता में की गयी सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार की जाती है।

<u>संलग्नः–यथोक्त।</u>

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
परिवहन आयुक्त।

संख्या– 4098 (1) / सम्‌दिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
2. डी0बी0ए0 मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचनायें विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
परिवहन आयुक्त।